### **बतारः प्रदेश**ः सरकारः

## गृह विभाग

गोवन

अनुभाग-3

अधिसूचना

17 जनवरी, 2005 ई0

सं 0 103/1/8/2001-सो 0 एक्स 0-3 (III)--च्कि नो वें दी गई अनुसूबी में नामित और मिविस्तार वर्णित मू-गृहादि ऐसा स्थानरहीं, जिसका प्रयोग लोक प्रकृति के प्रयोजनों के लिए अर्थात् तेल आपूर्ति के लिए किया जा रहा है.

**और पूक्ति उसके सम्बन्ध में कोई सूचना या उसके** नष्ट होने या उसमें रुकावट या विध्न से शत्रु को

लाम पहंच सकता है,

अतएव, अब, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस0 ओ०-1285, दिनांक 4 मई, 1963 के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या 19 सन् 1923) की घारा 2 के खनड़ (8) के उप खण्ड (घ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल नीवे दी गई अनुपूरी में नामित ओर सविस्तार वर्णित मू-गृहादि को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित कुरते हैं, और अग्रतर निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जनमाणा में उक्त भू-गृहादि पर लगाई जायेगी:

#### अनु सूची

### "प्रतिषद स्थान" का नाम और उसकी विनिर्दिष्टियां

इण्डियन आयल कारपोरेशन लि0, मथुरा-जालन्घर पेट्रोलियम पाइप लाइन के स्टेशन मेन लाइन एच0 ओ।।
बी0 (5×5 मी0) स्थित ग्राम-सिकड़ी, थाना-जानी, जिला मेरठ।

पूरव में -कृषि मूमि
पश्चिम में -कृषि मूमि
उत्तर में -कृषि मूमि
दक्षिण में -कार्ट ट्रैक एण्ड हेन

आज्ञासे, प्रदीप भटनागर, सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 103/1/8/2001-CX-3 (III), dated January 17, 2005 for general information:

# No. 103/1/8/2001-CX-3—(III)

January 17, 2005

WHEREES, the premises named, detailed and described in the Schedule given below is a place used for purposes of a public character, namely for Oil Supply;

AND, WREERAS, information with respect thereto or the destruction or obstruction thereof or interference therewith, could be useful to an enemy;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-clause (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act no. XIX of 1923) read with Government of India, Ministry of Home Affairs notification no. S.O. 1285, dated May 4, 1963, the Governor is pleas dto del rethe premises named, detailed and described in the Schedule given below to be a 'Prohibited Place' for the purpose of the said Act, and is further pleased to direct that a copy of this notification in English and in the Vernacular of the locality be affixed to the said premises:

#### Schedule

### Name and specifications of the' Prohibited Place'-

Indian Oil Corporation Ltd. Mathura-Jalan har Pipeline's Station Mainline HOV (5×5 Metre) at Village-Sikari, Police Station-Jaani, district Mecrut.

In E ast—Cultivation land.

In West - Cultivation land.

In North - Cultivation land.

In South - Cart track and drain.

By order,
PRADIP BHATNAGAR,
Secretary, Home Department.

टिप्पणी--राजपत्रित दिनांक 09-04-2005, माग-1 में प्रकाशित। [प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित--] पीं एस० यू० पीं 0--7 सां 0 गृह [गोपन]-26-04-2005-60 (मोनो) ।